संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग
खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
ई–icpsbhopal@gmail.com www. mpwe.in

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 258 भोपाल, दिनांक 17-02–2014

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी /
जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला –समस्त

विषय :– एचआईवी संक्रमित बच्चों को पोषण देखरेख / प्रवर्तकता योजना के तहत लाभान्वित करने के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र कमांक 180 दिनांक 10.06.2013 ।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत पालन पोषण देखरेख योजना की सम्पूर्ण प्रकिया की जानकारी दी जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना मे एड्स द्वारा संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों के लिये नियमानुसार पालन पोषण देखरेख अथवा प्रवर्तकता आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने का उल्लेख किये जाने के साथ ही किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2003 के नियम 40 मे उक्त प्रकार के बच्चों को लाभान्वित किया जाना प्रावधानित किया गया है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अन्य पात्र हितग्राहियों के साथ आप जिले मे एचआईवी संक्रमित (पात्र बच्चों) को नियमानुसार लाभांवित करने की कार्यवाही कर प्रतिवेदन संचालनालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(प्रमा सेठी)
संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 259 भोपाल, दिनांक 17-02–2014

प्रतिलिपि :–
1. संभागीय संयुक्त संचालक / संभागीय उपसंचालक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।
2. अधीकक्षक / प्रबंधक, शासकीय / अशासकीय संस्थाएं जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.